



क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एसपीएल-2, पंचम चरण, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)

राप्रनिम/क्षैका किश/पीयूबी-262/

दिनांक :

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोकसुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री बनवारी लाल पुत्र श्री पूसा राम, रेफरेंस संख्या 20211000031468 ग्राम राजपुरा द्वारा ग्रेनाईट खनिज क्लस्टर खनन परियोजना जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र. सं.	प्रोजेक्ट का नाम	रेफरेंस/खनन पट्टा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	ग्राम	खनिज का नाम	उत्पादन क्षमता टीपीए (आर.ओ.एम.)
1	श्री बनवारी लाल पुत्र श्री पूसा राम, खसरा संख्या 1593/4	20211000031468	1.4886	राजपुरा	ग्रेनाईट	118390
2	श्री हरफूल बैरवा	201810000516	1.0	राजपुरा	ग्रेनाईट	100800
3	श्री ओमप्रकाश बैरवा	2018100001202	1.2553	राजपुरा	ग्रेनाईट	95900
4	श्री ग्यारसी लाल	2018100001236	1.0	राजपुरा	ग्रेनाईट	51520
5	मैसर्स स्वास्तिक ग्रेनाईट्स	2018100001509	1.7238	हाथगी	ग्रेनाईट	205773
6	श्री मंगलराम बुनकर	2018100001159	1.0	राजपुरा	ग्रेनाईट	103404
7	श्री देवा लाल गुर्जर	126/2008	1.0	राजपुरा	ग्रेनाईट	91845

कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 8.4677 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता- 767632 टीपीए (आर.ओ.एम.), ग्राम राजपुरा एवं हाथगी, तहसील मालपुरा, जिला टोंक से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि श्री बनवारी लाल पुत्र श्री पूसा राम, रेफरेंस संख्या 20211000031468 ग्राम राजपुरा ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार समूह लोक सुनवाई हेतु आवश्यक है।
3. उक्त समूह खनन परियोजनासे सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

1. जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक।
2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, राजस्थान, 04, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर।
5. तहसील-मालपुरा, जिला-टोंक।
6. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, राजपुरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/पर्यावरण/2023/14780 दिनांक 20.03.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 09/05/2023 को दोपहर 12:00 बजे, स्थान-राजीव गांधी सेवा केन्द्र, राजपुरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर को भी दिये जा सकते हैं।

(दीपक तँवर)
पर्यावरणीय अभियंता
एवं क्षेत्रीय अधिकारी